कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag

E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1033 /10एल.ए. दिनांक 06/9/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः— जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली—शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.440 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक 1338/10एल.ए. दिनांक 16.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/89/2016/एफ.सी./162 दिनांक 28-12-2017 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.88 है. ग्राम –कनोठ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सम्मिलित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एंव नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–कनोठ की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। प्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के द्वारा निर्धारित आवश्यक धनराशि CAMPA के खाते में जमा की जा चुकी है। प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 –एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत हये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरुप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा की जा चुकी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोकता अभिकरण द्वाना वचनबद्वता प्रस्तुत की जाय।	एन.पी.वी. की बढ़ी धनराशि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc) को वैब Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एंव क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा की गई है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां– जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	State Govt. will provide original hard copy of revised FRA certificate date 19-06-2015 District level Committee Meeting proceeding and village Level Committee proceeding in respect of village (s) Kanoth (Mallwahwad) which are uploaded online at para d part I	प्रस्तावित मार्ग का FRA से सम्बन्धित प्रपत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। संलग्नः–

Computer Sandrbh.235

Scanned with OKEN Scanner

7	State Govt. will provide original hard copy of digital map of proposed road and area proposed for CA and original hard copy of trees proposed to be filled	प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की प्रति प्रतिहस्ताक्षर कर एवं वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ई॰ नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /10एल.ए. दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सातवाँ वृत्त, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰,
कर्णप्रयाग।

Computer Sandrbh.236

Scanned with OKEN Scanner

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204 Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 472 /10 एल.ए. दिनांक 29/04/2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.440 है. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ आपका पत्रांक 3615/12–1 दिनांक 23.12.2021, व इस कार्यालय का पत्रांक 97/10 एल.ए. दिनांक 14.01.2022,

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी. यू.सी.पी. /06/89/2016 एफ.सी./162 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम कनोठ की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। प्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के द्वारा निर्धारित आवश्यक धनराशि CAMPA के खाते में जमा की जा चुकी है। प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जा रही है।
2. विभाग द्वारा वनविभाग की मांग के अनुसार एन.पी.वी.की धनराशि CAMPA के खाते में जमा की जा चुकी है।
3. एन.पी.वी. की बढी धनराशि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
4. विभाग द्वारा एन.पी.वी.एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन–लाईन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते मे जमा की गई है।
5. सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों और रिक्त स्थानों पर वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।
6. प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

<u>संलग्नः</u>– **(1) NPV/वृक्षारोपण धनराशि जमा चालान की प्रति।**
(2) सिविल भूमि नामान्तरण आदेश की प्रति।
(3) NPV प्रमाण पत्र।
(4) रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण प्रमाण पत्र।

29/04/2022
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक 472 /10 एल.ए. दिनांक 29/04/2022

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दरानगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष "नियोजन–।।।" लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता स्तर –। लो0नि0वि0 पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता 7वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/04/2022
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.440 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.880 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव अपर प्रमुख, मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं0–08वीं/यू0सी0पी0 / 06 / 89/2016/एफ0सी0/1620 दिनांक 28.12.2018 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.440 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम कनोठ** प0वृ0 बैनोली तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–17 के खसरा सं0–625 रकवा 2.959 है0 भूमि मध्ये 2.880 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 6257/ छब्बीस–25 (2017–2018) गोपेश्वरः दिनांकः 30 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. मुख्य लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

Photo Attested
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

जिलाधिकारी,
चमोली।

नकल खतौनी (ज०वि०र०)

ग्राम - सनोट पटवारी क्षेत्र - बैनोली तहसील - कर्णप्रयाग जिला - चमोली

श्रेणी - 9 - 3 (5-1) कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2	3	4	5 (नाली मु०)	6 (हे० में)	7
1)	बंजर	—	11	≡	0.004	आदेश
			18	91	0.025	श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय चमोली
			22	41	0.085	के पत्र सं० 6257/ भू.नी.-25
			x	x	x	(2017-2018) दिनांक
			x	x	x	30 जुलाई 2018 के द्वारा
			x	x	x	ग्राम सनोट के ख० खाता सं० 1)
			x	x	x	में खसरा नं० 625 रकबा 2.884
			x	x	x	हेक्टेयर भूमि को विभाग के नाम
			x	x	x	शा० सं० 2173/XVIII(II) 2012-18 (120) 2010 दिनांक 1 सितम्बर 2012 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के नाम है।
			x	x	x	ह० अपठनीय पटवारी बैनोली 20/8/018
			625	—	2.959	
			2354	—	0.020	
			2357	—	0.019	
			2359	—	0.120	
		योग 99	267	—	971.009 हेक्टेयर	

नकल खतौनी जारी की गई है।

R.S. Bandae
पटवारी बैनोली 30/8/018

Bhart 30/8/18
TNA (V)
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

Photo Copy Attested
6/9/20
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.440 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

एन॰पी॰वी॰ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण मे एन॰पी॰वी॰ की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है, तो एन॰पी॰वी॰ की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	20/7/21 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

Photocopy Attd
6/9/21
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली—शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.440 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावति मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

25/3/21

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

Attachment-2

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत रिंगली शैलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क0सं0	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे0 में)
1	कनोठ	625	2.88 हे0
	सम्पूर्ण योगः—		2.88 हे0

अमीन
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खा0 लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खा0 लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

15/06/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खा0 लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

R.S.I.
16-6-016

16.6.16

जिला अधिकारी
चमोली

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग
17/6/16

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांकः– 1193 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली– शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.44 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित दर एवं एन०पी०वी० की धनराशि निम्नॉनुसार जमा की जानी है:–

क०सं०	नाम जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल (है० में)	दर	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.88	2,78,665.00	रू० 8,02,555.20
2	एन०पी०वी० (घनत्व .3)	1.44	6,57,000.00	रू० 9,46080.00
योग				रू० **17,48,635.00**

उक्त के अतिरिक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

एल० ए० ओ०/अनी०

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Photo Copy Attested
6/9/24
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

Gmail

EE PWD Karanprayag <eepdpwdkpg@gmail.com>

ail Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>
To: eepdpwdkpg@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

Tue, May 29, 2018 at 12:12 PM

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.	: FP/UK/ROAD/16321/2015
2. Proposal Name	: Forest Land Transfer Proposal for New Construction of Simli Sheleshwar Motor Road
3. Category of the Proposal	: Road
4. Date of In-principle	: 31/10/2015

5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Mobile No.	: 9997732566
Email ID	: eepdpwdkpg@gmail.com
State	: Uttarakhand
District	: Chamoli
Pincode	: 246444

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 802555/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 946080/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs.0/-
10. Other Charges2	: Rs.0/-
11. Other Charges3	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 1748635/-

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

SBINR52019062900122788

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनांक/Date..28/6/2019....

Received From.....Ex. Engineer P.W.D.... Karanprayag

पैसों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on:......................................से प्राप्त किया

बैंक/Bank: Corporation Bank Lodhi Complex Lodhi Road New Delhi 110003

शाखा/Branch: ....

के पक्ष में/Favouring ....Uttaranchal Campa......

....

आईएफएससी कोड/ IFSCCode: CORP0000371

खाता संख्या/Account No: 1508961163217149

राशि (रुपये)/Amount Rs.	17486352=00
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs....	
योग /Total Rs.	17486352=00

राशि/Rupees(in words): ...Seventeen core four ~~Six~~ eight thousand Six hundred thirty two five only

29 JUN 2019

शिवानी - प्रो० लेखाकार
लेखा सहा०

MI

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 19 / 06 /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.440 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanpravag Constituency of District Chamoli** falls within jurisdiction of Kanot, Malla Gwad and Naini Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.440 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

Photo Copy Attested
6/9/24
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 19-06-2015. At 11 p.m. at Chamoli in which the application claiming rights in village Kanet, Mulla Gwad and Naini of Tehsil-Karanprayng, area Measuring 1.440 Hectares for the **New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

Photocopy Attested
6/9/24
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–23.2

परियोजना का नाम:

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली-ग्वालदम मोटर मार्ग [illegible] ...x... है0 आरक्षित वन भूमि 0.600 है0 सिविल एवं नाप वन भूमि 0.840 है0 कुल प्रस्तावित भूमि (कुल 1.440 है0 वन भूमि) का लोनिवि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 12/3/025 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में सम्मानीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री .... उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग .... (signature) 12/3/025 उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

2– श्री शिवानन्द सुमन उप प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर (signature)

3– श्री मोहन सिंह मारतोलिया सहायक समाज कल्याण अधिकारी (signature) ....

~~4– श्री .... बी0डी0सी0 सदस्य ....~~

(4) श्री मालदत्त पुरोहित वन अधिकार समीति सदस्य (signature)

(5) श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समीति सदस्य (signature)

(6) श्री महिपाल सिंह नेगी वन अधिकार समीति सदस्य (signature)

सिमली ग्वालदम

1.4410

[illegible]

लो०नि०वि०

[illegible]

सबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी ......गोपेश्वर...... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड......कर्णप्रयाग......परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली-घोलतीर मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.440 ......है वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर हस्तान्तरित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कर्णप्रयाग
जनपद ......चमोली

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी ......चमोली...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अध्यक्ष

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड ......
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग
कर्णप्रयाग
चमोली

Photo Copy Attested
6/9/16
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :–

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम......नौठी......

तहसील......कर्णप्रयाग......जिला......चमोली (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद......चमोली......अन्तर्गत......सिमली रौलेस्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण......परियोजना के निर्माण हेतु ......x हे0 आरक्षितवनभूमि......0.600......हे0 सिविल सोयमभूमि......0.840......हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल ......1.440......हे0 वनभूमि का......लो0नि0वि0......विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय मे ग्राम पंचायत......नौठी......द्वारा दिनांक......28.2.2015 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं।उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्यनहीं किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......नौठी......के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि......सिमली रौलेस्वर मोटर मार्ग का नि0......प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्रामसचिव

ह0/– गीता देवी 28/2/15
ग्रामप्रधान
[stamp: ग्राम पंचायत ...]

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र मे दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy Attested
[signature]
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28-2-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत नैठी

कमाक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] प्रसाद गैरोला	[illegible]
2.	विजय कुमार कैलखुरा	विजय प्रसाद कैलखुरा
3–	[illegible] प्रसाद	[illegible]
4-	सुनील कुमार कैलखुरा	[illegible]
5	[illegible] मैठाणी	[illegible]
6–	कृष्णानन्द गैरोला	कृष्णानन्द गैरोला
7–	राम चन्द्र नैनवाल	राम चन्द्र
8–	[illegible] मैठाणी	[illegible]
9–	विपुल कुमार कैलखुरा	[illegible]
10..	[illegible] कैलखुरा	[illegible]
11..	प्रकाश चन्द्र कैलखुरा	प्रकाश चन्द्र
12–	सत्य प्रकाश कैलखुरा	[illegible]
13–	अनिल कुमार कैलखुरा	Anil
14.	[illegible] कुमार कैलखुरा	[illegible]
15–	[illegible] नैनवाल	[illegible]
16	[illegible] प्रसाद नैनवाल	[illegible]
17	[illegible] नैनवाल	[illegible]
18–	महेशानन्द गैरोला	महेशानन्द गैरोला
19.	[illegible] गैरोला	[illegible]
20 –	[illegible] देवी	[illegible]
21–	[illegible] देवी	[illegible]
22–	[illegible] कैलखुरा	[illegible] 28-2-2015
23 –	[illegible] प्रसाद	

ह0 / गीता देवी 28/2/15

ग्रामप्रधान

Photo Copy Attested

[illegible] 6/9/12

Assistant Engineer

Provincial Division, PWD

Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (लम्बाई– 03.450 किमी0)

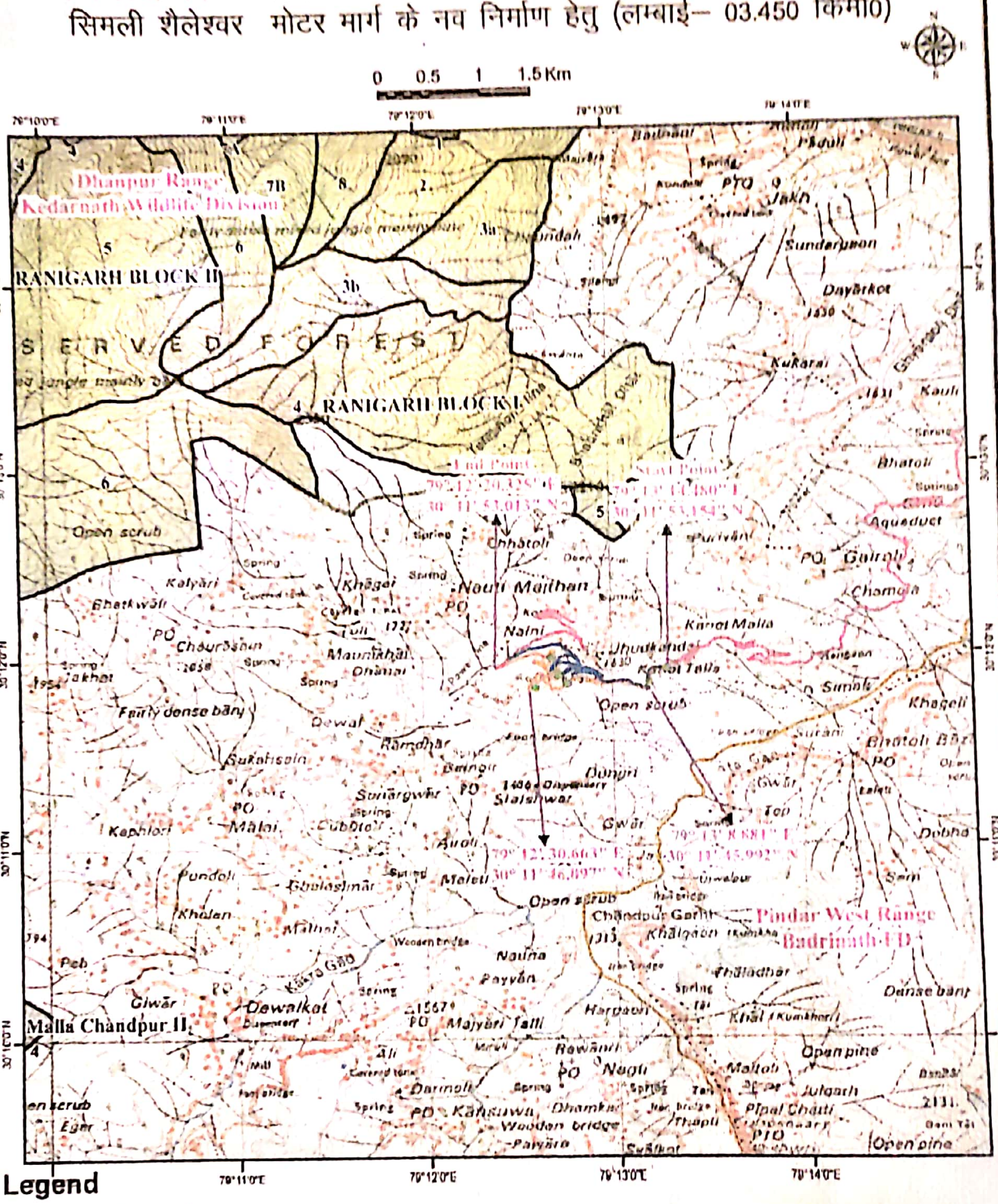

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Division Boundary

Photo copy

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

26/12/16
Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (लम्बाई– 03.450 किमी0)

*Scale - 1:10,000

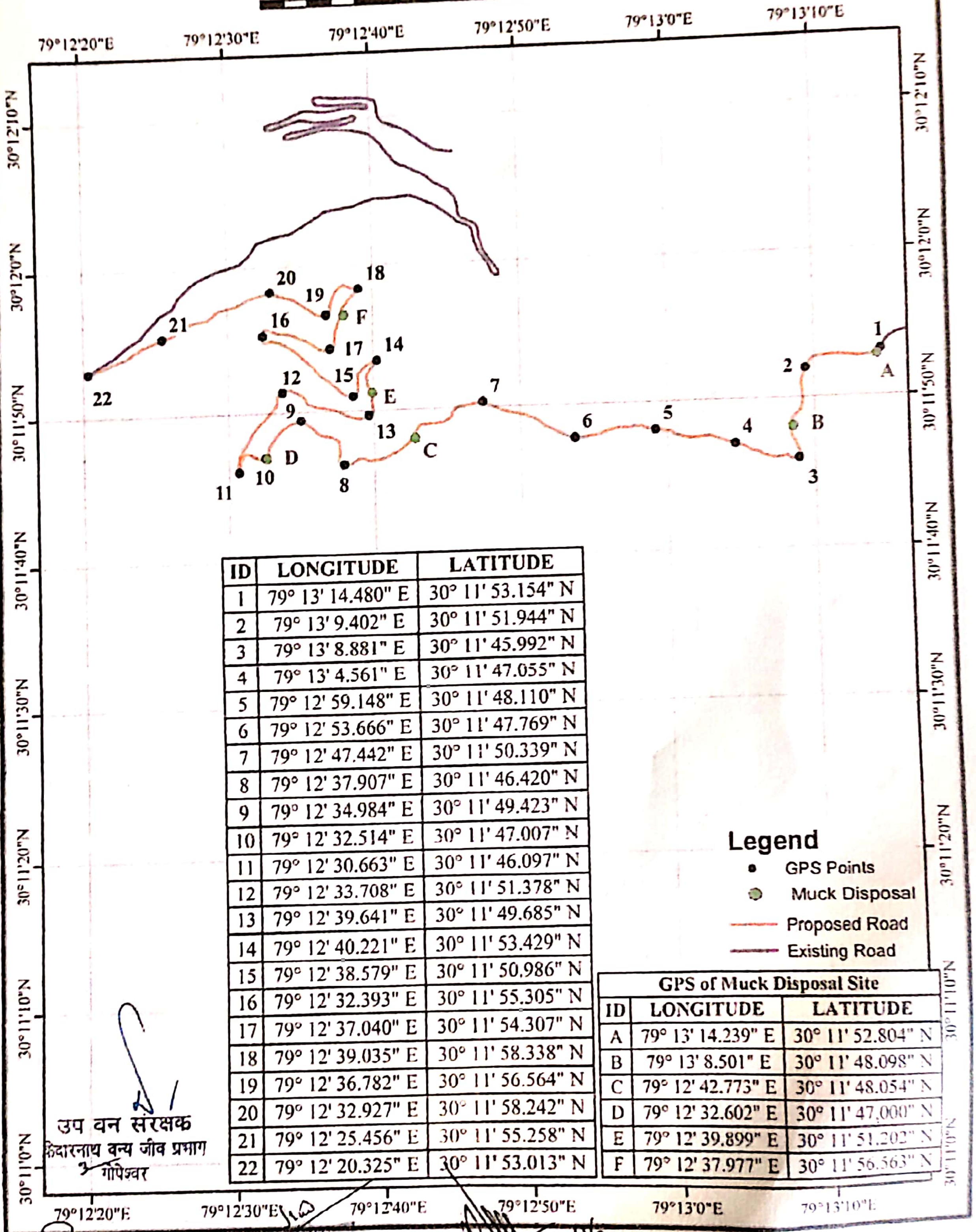

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 13' 14.480" E	30° 11' 53.154" N
2	79° 13' 9.402" E	30° 11' 51.944" N
3	79° 13' 8.881" E	30° 11' 45.992" N
4	79° 13' 4.561" E	30° 11' 47.055" N
5	79° 12' 59.148" E	30° 11' 48.110" N
6	79° 12' 53.666" E	30° 11' 47.769" N
7	79° 12' 47.442" E	30° 11' 50.339" N
8	79° 12' 37.907" E	30° 11' 46.420" N
9	79° 12' 34.984" E	30° 11' 49.423" N
10	79° 12' 32.514" E	30° 11' 47.007" N
11	79° 12' 30.663" E	30° 11' 46.097" N
12	79° 12' 33.708" E	30° 11' 51.378" N
13	79° 12' 39.641" E	30° 11' 49.685" N
14	79° 12' 40.221" E	30° 11' 53.429" N
15	79° 12' 38.579" E	30° 11' 50.986" N
16	79° 12' 32.393" E	30° 11' 55.305" N
17	79° 12' 37.040" E	30° 11' 54.307" N
18	79° 12' 39.035" E	30° 11' 58.338" N
19	79° 12' 36.782" E	30° 11' 56.564" N
20	79° 12' 32.927" E	30° 11' 58.242" N
21	79° 12' 25.456" E	30° 11' 55.258" N
22	79° 12' 20.325" E	30° 11' 53.013" N

GPS of Muck Disposal Site		
ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 13' 14.239" E	30° 11' 52.804" N
B	79° 13' 8.501" E	30° 11' 48.098" N
C	79° 12' 42.773" E	30° 11' 48.054" N
D	79° 12' 32.602" E	30° 11' 47.000" N
E	79° 12' 39.899" E	30° 11' 51.202" N
F	79° 12' 37.977" E	30° 11' 56.563" N

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

डिजिटल मैप -- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल

Legend

- Proposed Plantation Civil Soyam Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Division Boundary

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल

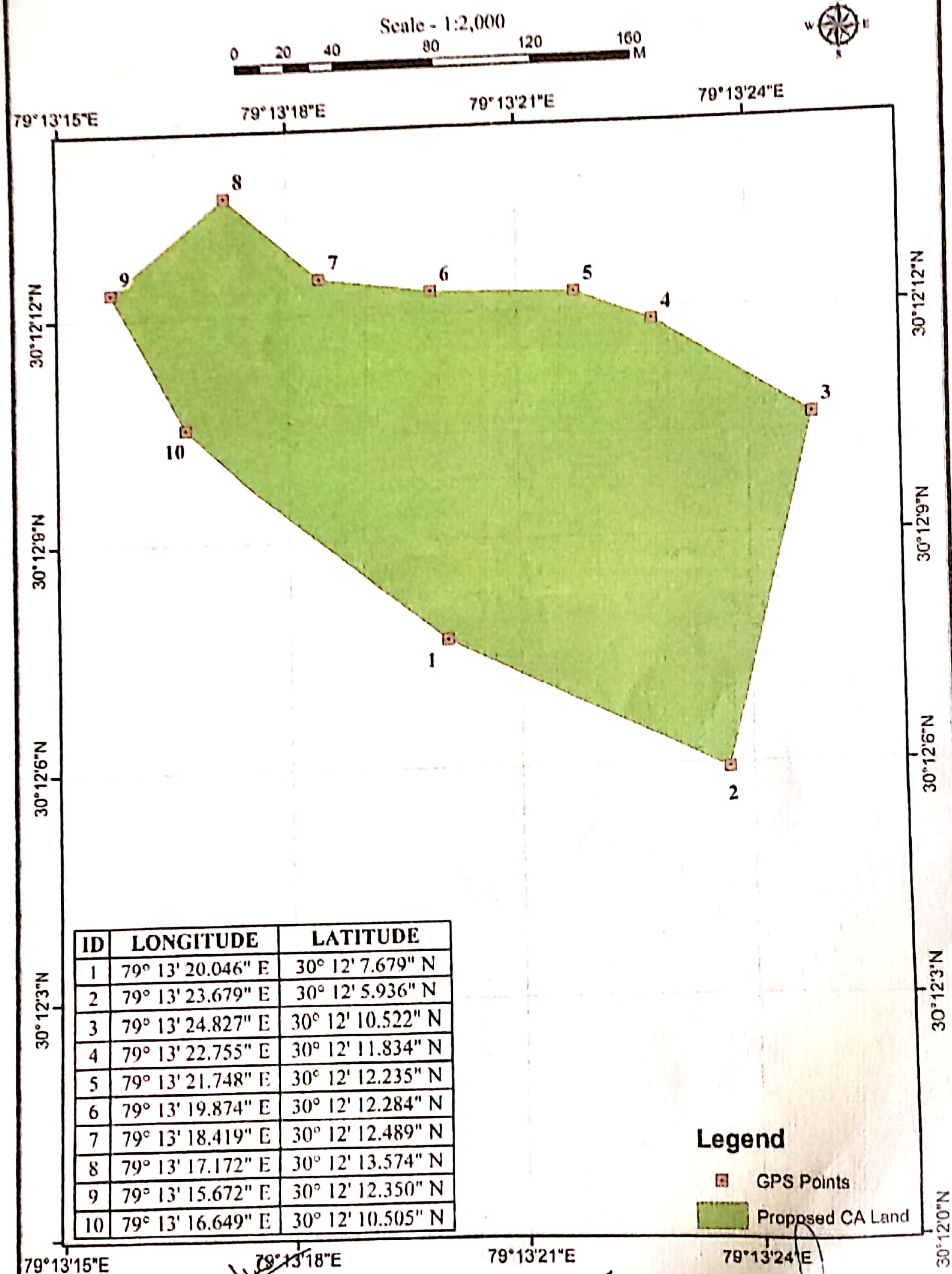

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 13' 20.046" E	30° 12' 7.679" N
2	79° 13' 23.679" E	30° 12' 5.936" N
3	79° 13' 24.827" E	30° 12' 10.522" N
4	79° 13' 22.755" E	30° 12' 11.834" N
5	79° 13' 21.748" E	30° 12' 12.235" N
6	79° 13' 19.874" E	30° 12' 12.284" N
7	79° 13' 18.419" E	30° 12' 12.489" N
8	79° 13' 17.172" E	30° 12' 13.574" N
9	79° 13' 15.672" E	30° 12' 12.350" N
10	79° 13' 16.649" E	30° 12' 10.505" N

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 28/03/18 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तलोट ([illegible])

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
2	साबू लाल	साबूलाल
3	गणपति लाल	गणपति लाल
4	सुखदेव	सुखदेव
5	विजेश्वरी देवी	विजेश्वरी देवी
6	कुसुमा देवी	कुसुमा देवी
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

हस्ताक्षर कुसुमा देवी
ग्राम प्रधान
28/03/18

Photo Copy Attested
6/9/24
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र– 23.1

परियोजना का नाम:–

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तुर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– कनोट (सिमली [illegible])

तहसील – कर्णप्रयाग जिला – चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के [illegible] सिमली [illegible] मोटर मार्ग [illegible] का नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु X है0, आरक्षित वनभूमि, 0.60 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.840 हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.110 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनोट द्वारा दिनांक 28/04/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि सिमली–[illegible] मोटर मार्ग हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव..................

हस्ताक्षर/ [illegible]
ग्राम प्रधान

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

Photo Copy [illegible]

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Scanned with OKEN Scanner